न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 02 / 2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री जगदीश चन्द्र सोनी सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय गुड़ामालानी, प्रतिनियुक्त–कार्यालय जिला कलेक्टर बाडमेर		जिला कलेक्टर बाड़मेर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर कमांकः प.1( )(1)कार्मिक / 2021 / 10500 दिनांक 22.10.2021 द्वारा प्रार्थी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संग्रहित प्रभाव (With Held) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 21 .04.2023

1. यह अपील श्री जगदीश चन्द्र सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय गुड़ामालानी, प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय बाडमेर ने जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश कमांकः प.1( )(1)कार्मिक / 2021 / 10500 दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहते बिना सूचना / अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 31.05.2016 से 08.06.2016 तक स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय कार्य प्रभावित होने से विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होना मानते हुए आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (With Held) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
3. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः प.1(330)(1)कार्मिक / 2015 / 12672 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री जगदीश चन्द्र सोनी, सहायक कार्यालय अधीक्षक, तहसील कार्यालय गुड़ामालानी, प्रतिनियुक्ति पर जिला कार्यालय बाडमेर की वाद शाखा में दिनांक 24.04.2016 से लगातार कार्यरत्त रहने के दौरान दिनांक 31.05.2016 से 08.06.2016 तक कार्यालय में उपस्थित नही हुए व मुख्यालय छोड़ कर चले गये। उक्त अवधि के लिए आप द्वारा किसी प्रकार का अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया व अवकाश भुगतने तथा मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति प्राप्त नही की गई। स्वेच्छापूर्वक उक्त अवधि का अवकाश भुगत कर आप द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2016 में भी दिनांक 31.05.2016 से 08.06.2016 तक हरिद्वार जाने के कारण कार्यालय में उपस्थित नही होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आप अपने कर्त्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे है। आपका यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, मनमाना आचरण करने तथा राजस्थान सेवा नियम के नियम 86(1) के अनुसार स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने तथा अनुशासनहीनता बरतने की श्रेणी में आता है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र सं0 01 में अंकित है।

आरोप संख्या 2–

यह कि आप श्री जगदीश चन्द्र सोनी, सहायक कार्यालय अधीक्षक, तहसील कार्यालय गुड़ामालानी, हाल प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय बाडमेर पूर्व में विकास शाखा में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 02.11.12 व 10.12.12 से 24.12.12 व 25.12.12 से 15.01.13 तक तथा 15.6.15 से 25.6.15 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे। उपरोक्तानुसार स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण आपको इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः कार्मिक/2013/964 दिनांक 13.02.13 एवं प.1(330)(1)कार्मिक/2015/9305 दिनांक 01.10.15 के द्वारा भविष्य में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित नहीं रहने एवं अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर प्रस्थान करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण निस्तारित किया गया था। उक्तानुसार आपको पूर्व में दो बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 31.05.2016 से 08.06.2016 तक स्वेच्छा से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे है। इससे यह जाहिर होता है कि आप स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के आदी है। इस प्रकार आप द्वारा अपने कर्त्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने की पुनरावर्ती की गई है। आपका यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, मनमाना आचरण करने तथा राजस्थान सेवा नियम के नियम 86(1) के अनुसार स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने तथा अनुशासनहीनता बरतने की श्रेणी में आता है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या 02 में अंकित है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें आरोपवार मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि :–

जवाब आरोप संख्या 1–

दिनांक 31.05.2016 से 08.06.2016 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के संबंध में यह निवेदन किया कि उसकी माताजी 70 वर्ष की विधवा महिला है, उनकी इच्छानुसार दो माह पूर्व ही बाड़मेर से हरिद्वार जाने की टिकटें बुक करा ली गई थी। उसके द्वारा हरिद्वार जाने के लिए दिनांक 31.05.2016 से 03.06.2016 तक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति बाबत एडीएम साहब के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया गया था। एडीएम साहब ने अवकाश प्रार्थना पत्र पर वाद शाखा प्रभारी की टिप्पणी करवा कर लाने के निर्देश दिये जाने पर वाद शाखा के प्रभारी की टिप्पणी कराई गई। उसे घर जाकर हरिद्वार जाने की तैयारी करनी थी, इसलिए वह सांय 6.00 बजे कार्यालय से इसी विश्वास से निकल गया कि उसका अवकाश स्वीकृत कर दिया जायेगा। परन्तु उसे सीसीए नियम के तहत नोटिस प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा आवेदित अवकाश स्वीकृत नही हुआ है। इस संबंध में उसे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नही हुई। इस प्रकार उसके द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र पेश कर दिये जाने के कारण स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने का उस पर लगाया गया आरोप अस्वीकार होना बताया।

जवाब आरोप संख्या 2–

आदतन स्वेच्छापूर्वक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के लगाये गये आरोप के संबंध में निवेदन किया कि उसके परिवार में वृद्ध माता, पत्नी एवं एक भाई है। माताजी अक्सर बीमार रहती है एवं छोटे भाई की दिमागी हालात ठीक नही रहती है, उसके ईलाज के लिए उसे डॉक्टरों, देवी–देवताओं आदि के चक्कर लगाने पड़ते है। इसलिए पूर्व में एक–दो बार कार्यालय से अनुपस्थित रहा, जिसका कारण आदतन नही होकर उसकी पारिवारिक परिस्थितियां रही है। उस पर आदतन अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप अस्वीकार होना बताते हुए जारी आरोप पत्र पत्रित करने का आग्रह किया गया।

5. तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांकः प.1( )(1)कार्मिक/2019/10613 दिनांक 09.09.2019 के द्वारा प्रकरण में विभागीय जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार बाड़मेर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया।

6. जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने उक्त विभागीय जांच कार्यवाही सम्पन्न कर अपने पत्र क्रमांकः जांच/2020–21/1630 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में मुख्यतः यह उल्लेख

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

किया गया कि आरोप पत्र में वर्णित आरोप को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी उपस्थापक अधिकारी तहसीलदार की थी। तहसीलदार बाडमेर का यह कथन उचित है कि प्रार्थी को समय–समय पर उसके पक्ष में यथा प्राविधित अवकाश दावों का लाभ लेकर ही पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाना चाहिए, तथापि आरोपित कर्मचारी द्वारा जवाब में वर्णित पारिवारिक परिस्थितियों में उसकी माता का वृद्ध होना तथा छोटे भाई का मानसिक रूप से बीमार होना जायज परिस्थितियां है। भाई की मनोदशा ठीक नही होने की स्थिति में कई बार कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किये बिना ईलाज हेतु जाना पड सकता है। आरोपित कर्मचारी की उक्त परिस्थितियों के मद्धेनजर कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यालय में अनुपस्थित रहना स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में नही माना जा सकता। निष्कर्षतः आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित है।

7. तदउपरांत अति0 जिला कलेक्टर बाड़मेर के पत्रांकः प.1( )(1)कार्मिक/2019/7403 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट में उल्लेखित कि उपस्थापक अधिकारी (तहसीलदार बाडमेर) द्वारा समुचित पैरवी नही की गई। इस कारण जांच कार्यवाही अपूर्ण प्रतीत होना मानते हुए प्रकरण में पुनः जांच हेतु जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को लौटाई गई तथा पृष्ठांकन क्रमांक 7404 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी को राज्य पक्ष की ओर से ठोस पैरवी हेतु निर्देशित किया गया।

8. उक्त आदेश की पालना में जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने उक्त विभागीय जांच दिनांक 20.10.2020 को संस्थित कर, पुनः उक्त विभागीय जांच कार्यवाही सम्पन्न कर अपने पत्र क्रमांकः जांच/2020–21/8012 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया कि आरोप पत्र में वर्णित आरोप को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी उपस्थापक अधिकारी तहसीलदार बाडमेर की थी। तहसीलदार बाडमेर का यह कथन उचित है कि प्रार्थी को समय–समय पर उसके पक्ष में यथा प्राविधित अवकाश दावों का लाभ लेकर की पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाना चाहिए, तथापि आरोपित कर्मचारी द्वारा जवाब में वर्णित पारिवारिक परिस्थितियों में उसकी माता का वृद्ध होना तथा छोटे भाई का मानसिक रूप से बीमार होना जायज परिस्थितियां है। भाई की मनोदशा ठीक नही होने की स्थिति में कई बार कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किये बिना ईलाज हेतु जाना पड सकता है। आरोपित कर्मचारी की उक्त परिस्थितियों के मद्धेनजर कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यालय में अनुपस्थित रहना स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में नही माना जा सकता। निष्कर्षतः आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

9. तत्पश्चात प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर ने दिनांक 04.10.2021 को आरोपित कार्मिक की व्यक्तिगत सुनवाई कर, अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 10500 दिनांक 22.10.2021 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

10 दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील मीमों एवं विभागीय जांच प्रकरण में प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियां सदैव उस पर हावी रही है, इस कारण वह अपने सेवाकाल में यदा–कदा बिना अवकाश प्रार्थना पत्र/बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहा है, यह उसकी गंभीर विवशता थी। जिसे विभागीय जांच कार्यवाही में स्वयं जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020 एवं पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 07.09.2021 में वर्णित किया है। अतः जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष एवं उसकी तत्कालीक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे सहानुभूति पूर्वक आरोपित दण्ड से मुक्त कराने का आग्रह किया गया।

11. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकः प.1( )(1)कार्मिक/2022/485 दिनांक 03.02.2023 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली व जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर की जांच रिपोर्टो का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा विभागीय जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार बाड़मेर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया था। उपखण्ड अधिकारी ने विभागीय जांच सम्पन्न कर अपने पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 23.09.2020 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसके निष्कर्ष में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया कि आरोप पत्र में वर्णित आरोप को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी उपस्थापक अधिकारी तहसीलदार की थी। तहसीलदार बाडमेर का यह कथन उचित है कि प्रार्थी को समय–समय पर उसके पक्ष में यथा प्राविधित अवकाश दावों का लाभ लेकर ही पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाना चाहिए, तथापि आरोपित कर्मचारी द्वारा जवाब में वर्णित पारिवारिक परिस्थितियों में उसकी माता का वृद्ध होना तथा छोटे भाई का मानसिक रूप से बीमार होना जायज परिस्थितियां है। भाई की मनोदशा ठीक नही होने की स्थिति में कई बार कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किये बिना ईलाज हेतु जाना पड सकता है। आरोपित कर्मचारी की उक्त

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

परिस्थितियों के मद्धेनजर कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यालय में अनुपस्थित रहना स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में नही माना जा सकता। निष्कर्षतः आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित होना बतलाया गया।

12. तत्पश्चात जिला कार्यालय द्वारा उक्त जांच कार्यवाही अपूर्ण होना मानते हुए प्रकरण पुनः जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को भिजवाया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने उक्त पुनः विभागीय जांच संस्थित कर, अपने पत्र कमांकः 8012 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित की गई। जिसके निष्कर्षतः पूर्व प्रेषित रिपोर्ट में आरोपित कर्मचारी की उल्लेखित परिस्थितियों के मद्धेनजर कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यालय में अनुपस्थित रहना स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में नही मानते हुए आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित होना बताया गया। उक्त दोनों विभागीय जांच भिन्न–भिन्न पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न की गई थी। इसके उपरांत जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रपत्र–ए में जांच अधिकारी की टिप्पणी एवं इसकी समीक्षा के प्रस्तुतिकरण में भिन्नता रही है।

13. अतः प्रकरण में जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर की जांच रिपोर्ट्स दिनांक 23.09.2020 एवं 07.09.2021 के आधार पर, अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश कमांकः 10500 दिनांक 22.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में जांच रिपोर्ट्स के निष्कर्षतः आरोपी कार्मिक की तत्कालीक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक जांच कार्यवाही को सीसीए नियम 17 में कन्वर्ट करते हुए, उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 अप्रेल, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर